न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 09/2024 GCMS No. 2024/23

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1.अचलाराम पुत्र मोतीराम 2. किसनाराम पुत्र मोतीराम 3.गोरखाराम पुत्र टीकमाराम 4.भैराराम पुत्र मोतीराम 5.रमेश कुमार पुत्र दोलाराम 6.विशनाराम पुत्र मोतीराम 7.शंकरलाल पुत्र दोलाराम 8.सुशीलादेवी पत्नि दोलाराम जातियान मेघवाल निवासीयान रामदेव नगर लापुन्दडा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।		1. अणदाराम पुत्र नरसिंगाराम 2. आसुराम पुत्र चिमाराम 3. कुम्भाराम पुत्र चिमाराम 4. करनाराम पुत्र चिमाराम 5. दुर्गाराम पुत्र चिमाराम 6. धन्नाराम पुत्र चिमाराम 7. धारूराम पुत्र मोटाराम 8. पेमाराम पुत्र चिमाराम 9. बालाराम पुत्र मोटाराम 10. भीमाराम पुत्र नरसिंगाराम 11. मंगलाराम पुत्र चिमाराम 12. मेहराराम पुत्र नरसिंगाराम 13. राजूराम पुत्र मोटाराम 14. वगताराम पुत्र मलाराम 15. सताराम पुत्र मोटाराम 16. सायरोदेवी पत्नि मोटाराम 17. हस्तीमल पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी रामदेव नगर लापुन्दडा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। 18. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2022/112 दिनांक 15.03.2022 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश को विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग उपस्थित।
2. उतरदातागण संख्या 1 सें 12 एवं 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री सांवलराम मेंघवाल उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 07.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/112 दिनांक 15.03.2022 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 17 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 17 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 205 रकबा 0.1619 हेक्टयर व खसरा नंम्बर 207 रकवा 55.8465 हेक्टयर मौजा रामदेव नगर लापुन्दडा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। में अवस्थित है जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 17 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान 15.03.2022 में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

2024/23

वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा बराबर–बराबर नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 2022 / 112 दिनांक 15.03.2022 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।
2. अतः हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेट सख्या 1 सें 17 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सें 17 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लठ्ठा ट्रेस नक्शे में सहखातेदरान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 17 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त / अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के आदेश क्रमांक राजस्व आवेदन संख्या 120 / 21 दिनांक 22.06.2021 की नेखमबंदी अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाती है।
4. अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश कमाक / एलआरसी / 2022 / 112 दिनांक 15.03.2022 को निरस्त करते हुए मूल खेत खसरा नम्बर 205 रकबा 0.1619 हेक्टयर व खसरा नम्बर 207 रकबा 55. 8465 हेक्टयर (वर्तमान खसरा नम्बर 361 / 207 रकबा 27.8423 हेक्टयर, खसरा नम्बर 360 / 207 रकबा 28.0042 हेक्टयर मौजा रामदेव नगर पटवार क्षेत्र लापुन्दडा तहसील गिडा जिला बालोतरा की आराजी का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त व बाहामी बंटवाडे तथा ओवरलेप भूमि को बराबर हिस्से में करते हुए विधिक हिस्से
5. एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के आदेश क्रमांक राजस्व आवेदन संख्या 120 / 21 दिनांक 22.06. 2021 की नेखमवंदी अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।
6. निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)